

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 653(अ).-केन्द्रीय सरकार भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप नियम (1) एवं (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केरल सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का निर्धारण) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) ये नियम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का निर्धारण) तृतीय संशोधन नियमावली, 2013 कहलाएंगे।
(2) इन्हें शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हुआ समझा जाएगा।
2. अनुसूची में भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का निर्धारण) विनियमावली, 1955 में 'केरल शीर्ष' के लिए एवं इसके अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

पुलिस अधीक्षक, कोजीकोड	1
पुलिस अधीक्षक, त्रिशुर	1
पुलिस अधीक्षक, एरनाकुलम	1
पुलिस अधीक्षक, कोल्लम	1
पुलिस अधीक्षक, तिरुवन्तपुरम	1

द्वारा

पुलिस अधीक्षक, कोजीकोड (ग्रामीण)	1
पुलिस अधीक्षक, त्रिशुर (ग्रामीण)	1
पुलिस अधीक्षक, एरनाकुलम (ग्रामीण)	1
पुलिस अधीक्षक, कोल्लम (ग्रामीण)	1
पुलिस अधीक्षक, तिरुवन्तपुरम (ग्रामीण)	1

[सं.11052/3/2013-अ.भा.से.-II(क)]

मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी (1): मुख्य विनियम भारत के राजपत्र एसआरओ सं. 3350, दिनांक 22 अक्टूबर, 1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। इसके पश्चात निम्नलिखित सा.का.नि.सं. एवं दिनांक द्वारा ये संशोधित किए गए थे।

क्रम सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक	क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1.	540	27.10.1995	11.	294	24.06.1995
2.	814	02.06.1976	12.	740(अ)	31.12.1997
3.	455(अ)	30.07.1980	13.	212(अ)	24.04.1998
4.	1008(अ)	14.11.1981	14.	195	07.04.2001
5.	344(अ)	20.04.1983	15.	902(अ)	30.12.2008
6.	646	30.06.1984	16.	192(अ)	24.03.2009
7.	187	26.03.1988	17.	724(अ)	01.09.2010
8.	403	30.07.1991			
9.	90	04.03.1995			
10.	320(अ)	31.03.1995			